दिनांकः 17 नवम्बर, 2022 को जिलाधिकारी अल्मोड़ा की अध्यक्षता मे आयोजित जिला स्तरीय उद्योग मित्र बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांकः 17 नवम्बर, 2022 को जिलाधिकारी महोदया,अल्मोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित जिला उद्योग मित्र समिति की बैठक में सर्वप्रथम उपस्थित सभी विभागीय अधिकारियों एवं उद्यमियों का अभिवादन करते हुये महाप्रबन्धक/सदस्य सचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही शुरू की गई।

बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 यथा संशोधित–2020 (एम.एस.एम.ई. नीति–2015) एवं विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2008 यथा संशोधित एवं परिवर्धित – 2011(हिल पॉलिसी–2008) के अन्तर्गत प्राप्त विभिन्न उद्यमों के ब्याज उपादान, एवं विद्युत उपादान दावे, औद्योगिक आस्थान के प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये, जिन पर निम्न प्रकार से निर्णय लिया गया : –

Scanned with CamScanner

औद्योगिक आस्थान पातालदेवी : –		
1	औद्योगिक आस्थान में अकार्यरत्/बन्द इकाई	जिलाधिकारी महोदया द्वारा महाप्रबन्धक/सदस्य सचिव को निर्देश दिये गये कि जनपद में स्थापित औ0आ0पातालदेवी,अल्मोडा में अकार्यरत/ बन्द इकाईयों को एक माह का अन्तिम नोटिस देते हुये आगामी बैठक में इकाई के स्वामी को बुलाया जाय । तथा सम्बन्धित इकाईयों की पत्रावली संक्षिप्त विवरणानुसार प्रस्तुत की जाय । **कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।**
मिनी औद्योगिक आस्थान द्वाराहाट : –		
1	मिनी औद्योगिक आस्थान में अकार्यरत/बन्द इकाईयां।	जिलाधिकारी महोदया द्वारा महाप्रबन्धक/सदस्य सचिव को निर्देश दिये गये कि जनपद में स्थापित मिनी औ0आ0द्वाराहाट जनपद–अल्मोडा मे अकार्यरत/ बन्द इकाईयों को एक माह का अन्तिम नोटिस देते हुये आगामी बैठक मे इकाई के स्वामी को बुलाया जाय । तथा सम्बन्धित इकाईयों की पत्रावली संक्षिप्त विवरणानुसार प्रस्तुत की जाय । **कार्यवाही – महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।**
1.	मैसर्स उप्रेती टॉयर रिट्रियेडिंग श्री किशनानन्द उप्रेती	मिनी औद्योगिक आस्थान द्वाराहाट मे उद्यमी को दिनाक 27 दिसम्बर 2021 को सम्पन्न जिला स्तरीय उद्योग मित्र की बैठक मे समिति द्वारा टायर रिट्रेडिंग उद्योग स्थापना हेतु स्वीकृति की गयी है । उद्यमी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त आस्थान मे पूर्व से टायर रिट्रेडिंग उद्योग स्थापित है तथा दूसरी यूनिट की गतिविधि चलना सम्भव नही है । उद्यमी टायर रिट्रेडिंग उद्योग के स्थान पर पिटिंग प्रेस की उद्योग स्थापित करना चाह रहे है । इस सम्बन्ध मे जिलाधिकारी महोदया द्वारा महाप्रबन्धक/सदस्य सचिव को निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित उद्यमी को [illegible] प्रेस उद्योग चलाने की अनु[illegible] सम्भव है तो सम्बन्ध मे उद्यमी से पूरा [illegible] ले लिया जाय ।